



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि. ०,
“खाद्य भवन”, दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक, रोड नं० २, पटना ८००००१
कार्यालय आदेश

निगम के पत्रांक 3767 दिनांक 16.04.18 द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम अन्तर्गत कनीय अभियंता के रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। उक्त विज्ञापन के आलोक में विभिन्न पदों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों पर स्थायी समिति के अनुशंसा के आलोक में कॉलम 2 में अकित अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से संविदा पर नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख कॉलम 8 में अकित अभ्यर्थियों का औपबंधित अभ्यर्थियों को निदेश है कि वे पद हेतु अगले 11 माह के लिए नियुक्त किया जाता है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को निदेश है कि वे पी०पी००५०/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र/सेवा निवृति कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 31.7.18 तक निगम मुख्यालय पटना में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व में प्रस्तुत कागजातों में भिन्नता/त्रुटि पाये जाने अथवा सेवा निवृति विभाग से प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

पर नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।								
क्र0 सं0	चयनित अभ्यर्थी का नाम	सेवा निं0 का पद	गृह जिला	सेवा निं0 का कार्यालय	पुरुष/ महिला	कोटि	पदनाम जिसके विरुद्ध चयन किया गया है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री अरुण कुमार सिंह	कर्नीय अभियंता	पटना	जल संसाधन विभाग	पुरुष	अनारक्षित	कर्नीय अभियंता	
2	श्री उपेन्द्र प्रसाद	कर्नीय अभियंता	बिहुसराय	जल संसाधन विभाग	पुरुष	अति पि0 वर्ग	कर्नीय अभियंता	
3	श्री जय नाथ तिवारी	कर्नीय अभियंता	पटना	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार	पुरुष	अनारक्षित	कर्नीय अभियंता	
4	श्री अवध बिहारी शरण	कर्नीय अभियंता	पटना	ग्रामीण कार्य विभाग	पुरुष	अनारक्षित	कर्नीय अभियंता	
5	श्री निशि कान्त यादव	कर्नीय अभियंता	कटिहार	पथ निर्माण विभाग	पुरुष	पि0 वर्ग	कर्नीय अभियंता	
6	श्री सचिवदानन्द मेहता	कर्नीय अभियंता	लखीसराय	पथ निर्माण विभाग	पुरुष	पि0 वर्ग	कर्नीय अभियंता	

पार्ट-

- शर्त –

 - अभ्यर्थियों की तत्काल औपचारिक रूप से इस शर्त के साथ नियुक्ति की जाती है कि उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की सम्पूर्णता में अथवा सेवा निवृत्त कार्यालय से कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है एवं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकती एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कारवाई भी की जा सकती।
 - सभी अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक 31.7.18 के पूर्वाह्न तक निगम मुख्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
 - सभी अभ्यर्थी द्वारा निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार एकरारनामा किया जायेगा।
 - सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.7.15 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
 - उल्लिखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में ग्यारह माह के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें कोई बौरे कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
 - अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
 - इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
 - अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
 - इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें निगम को एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगी।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

उप महाप्रबंधक, प्रशासन

9-18

Jul-18

ज्ञापांक-3.02.77.01.18 - 7452

प्रतिलिपि—सभी संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

/पटना,दिनांक- 21/07/18

21.7.18

ज्ञापांक-3.02.77.01.18 - 7452

प्रतिलिपि—मुख्य महाप्रबंधक,अधिप्राप्ति/जन वितरण/मुख्य सर्तकता पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/विपत्र लिपिक/प्रबंध निदेशक कोषांग,निगम मुख्यालय एवं सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप महाप्रबंधक,प्रशासन

/पटना,दिनांक-21/07/18

21.7.18

ज्ञापांक-3.02.77.01.18 - 7452

प्रतिलिपि—अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता सरक्षण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, जल संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप महाप्रबंधक,प्रशासन

/पटना,दिनांक-21/07/18

21.7.18

ज्ञापांक-3.02.77.01.18 - 7452

प्रतिलिपि—प्रभारी नियंत्रण कक्ष, निगम मुख्यालय, पटना को निदेश है कि निगम के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि सफल अभ्यर्थियों को सूचना प्राप्त हो सके।

उप महाप्रबंधक,प्रशासन

/पटना,दिनांक-21/07/18

21.7.18

उप महाप्रबंधक,प्रशासन

/पटना,दिनांक-21/07/18

21.7.18

21.7.18

21.7.18